

आफिस आर्डर

यह सूचना इस कार्यालय के दिनांक 13.03.2020, 20.03.2020 और 23.03.2020 को जारी आदेशों के क्रम में है जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय नॉर्वेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के फैलने के मद्देनजर 31.03.2020 तक बंद रहेगा। अब कोविड-19 के कारण 14.04.2020 तक देशव्यापी लाकडाउन के मद्देनजर, कुलपति ने निम्नानुसार निर्देश जारी किए हैं:

- 1) विश्वविद्यालय (चिकित्सा, जल, स्वच्छता आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) 14.04.2020 तक बंद रहेगा और रोटेशन के आधार पर न्यूनतम परिचालन कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी।
- 2) जामिया के सभी फैकल्टी सदस्यों के लाभ के लिए सात-सत्र का जेएमआई-ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का विश्वविद्यालय आयोजन करेगा।
- 3) विश्वविद्यालय ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के साथ जुड़ने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करेगा और सुविधा प्रदान करेगा।
- 4) सभी फैकल्टी सदस्यों को ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग और मूल्यांकन के लिए छात्रों को संलग्न करने के लिए स्काइप, वेबकास्ट, गूगल हैंगआउट और गूगल चैट के अलावा बड़े पैमाने पर इंटरैक्टिव उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- 5) यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने कई तरह के सब्सक्राइब्ड और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए रिमोट एक्सेस मुहैया कराया है।
- 6) सभी फैकल्टी सदस्य ऑनलाइन टीचिंग और मूल्यांकन में संलग्न रहेंगे और छात्रों को आवश्यक अध्ययन सामग्री प्रदान करेंगे।
- 7) छात्रों और अध्यापकों में कोविड-19 से होने वाले डिस्ट्रेस से निपटने के लिए लिए टेली-काउंसलिंग सेवाओं सहित काउंसिल सेंटर केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है।
- 8) ज़रूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय ने एक कोरंटीन / अलगाव सुविधा की पहचान की है। हाज़िरी पर ध्यान दिए बिना, लाकडाउन के दौरान आउटसोर्स और अनुबंधित कर्मचारियों को भुगतान करें।
- 9) मेडिकल इमरजेंसी रिस्पान्स कमेटी नियमित रूप से हालात पर नज़र रखेगी।
- 10) सोशल डिस्टैन्सिंग और अन्य चिकित्सा सलाहों पर सभी लगातार नज़र रखें और इसके लिए ऑनलाइन-लर्निंग एवेन्यू को देखते रहें।
- 11) वेतन, पेंशन और वित्तीय मामलों को प्रक्रिया के अनुसार समय पर निपटाया जाना चाहिए।
- 12) विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से पीएम राहत कोष (सीएआरई) के लिए एक दिन के वेतन में कटौती के रूप में दिनांक 01.04.2020 के आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(ए.पी. सिद्दीकी) आई.पी.एस.
रजिस्ट्रार